2008:CGHC:5662-DB

पकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

रिट अपील सं.: 313 / 2007

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु दिनांक नियत : 27/07/2008

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

2008:CGHC:5662-DB

पकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

रिट अपील सं.: 313 / 2007

अपीलकर्ता :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनजातीय कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी :

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, आयु लगभग 41 वर्ष, पिता स्व. श्री रामप्रति शुक्ल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पथलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)

वर्तमान पता – ग्राम डाखरा, पोस्ट देवगांव, तहसील रायपुर करकरचुलियन, जिला रीवा (म.प्र.)

छत्तीसगढ़ अपील टू डिवीजन बेंच अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के अंतर्गत रिट अपील

उपस्तिथि : श्री यशवंत सिंह ठाकुर, उप महाधिवक्ता — राज्य/अपीलकर्ताओं की ओर से।
श्री राकेश पांडेय, अधिवक्ता — उत्तरवादी की ओर से।

रिट अपील सं.: 313 / 2007

निर्णय

(29.07.2008)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया, न्यायाधीश

1. राज्य ने यह अपील, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (सेवा) सं. 6477/2006 में पारित आदेश दिनांक 20 अप्रैल, 2007 से आकृष्ट होकर दायर की है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

याचिका में की गई अभिवचन की दलीलों के अनुसार, उत्तरवादी की नियुक्ति 25.08.1988 को पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर तत्कालीन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई थी। उक्त पद पर उसकी सेवाएं दिनांक 14.09.1992 के आदेश के माध्यम से स्थायी की गईं। उत्तरवादी का कहना है कि वर्ष 1996 में उसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर चयनित किया गया और उसके पक्ष में दिनांक 29.06.1996 को पदस्थापना आदेश (अनुलग्नक-पी/3) जारी किया गया। तत्पश्चात, उसे जनजाति विकास विभाग, जशपुर में ब्लॉक-पथलगांव में पदस्थ किया गया और उक्त कार्यकाल के दौरान, दिनांक 12.12.1998 को मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनजाति विकास विभाग में पदस्थ हैं, उनकी धारणाधिकार (lien) उसी विभाग में रखी जाएगी। उत्तरवादी ने एक हस्तलिखित दस्तावेज़ (अनुलग्नक-पी/4) दिनांक 12.12.1998 भी प्रस्तुत किया है, जिसे उसने तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल का निर्णय बताया है। कुछ समय पश्चात उक्त पद पर कार्य करते हुए, उत्तरवादी को दिनांक 20.09.2005 को उसके द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के कारण निलंबित कर दिया गया। आक्षेपित आदेश दिनांक 27.09.2006 (अनुलग्नक-पी/1) के द्वारा शासन द्वारा निलंबन समाप्त कर उत्तरवादी को पुनः पदस्थ किया गया तथा उसकी सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को वापस कर दी गईं। इसी अवस्था में, उत्तरवादी ने रिट याचिका(सेवा) सं. 6477/2006 दायर की और निम्नलिखित राहतें मांगीं:

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7.1 माननीय न्यायालय कृपया उपयुक्त रिट / आदेश / निर्देश जारी करने की कृपा करें, जो प्रतिवादियों को यह निर्देश दे कि याचिकाकर्ता को कार्य के साथ पदस्थापना आदेश प्रदान किया जाए और नियमित वेतन एवं निलंबन की अवधि हेतु पिछला वेतन ब्याज दर 24%

वार्षिक की दर से दिया जाए, क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा निलंबन आदेश समाप्त कर दिया गया है, ताकि न्यायहित में यथोचित राहत दी जा सके।

7.2 माननीय न्यायालय कृपया आदेश पी-1 के उस भाग को निरस्त करने की कृपा करें, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को जनजातीय विकास विभाग से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में यह कहते हुए वापस भेजा गया है कि उसकी सेवाएं जनजातीय विकास विभाग को आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि उक्त आदेश अवैध और तर्कहीन है तथा न्यायहित में याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया जाए।

7.3 ऐसा कोई अन्य आदेश, जो माननीय न्यायालय उचित एवं उपयुक्त समझे, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।

7.4 याचिका का व्यय प्रदान करने की कृपा करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इस रिट याचिका में, अपीलार्थियों द्वारा दिनांक 16.03.2007 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, और अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कथन किए गए:

"कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य में पशु चिकित्सा विभाग में सहायक शल्यज्ञ के रूप में दिनांक 14.09.1992 को की गई थी। कि याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 29.06.1996 के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर जनपद पंचायत मलखरोदा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में भेजा गया था। वर्तमान में, वह जनजातीय ब्लॉक के अंतर्गत जनपद पंचायत पथलगांव में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में कार्यरत था। आक्षेपित आदेश के द्वारा, याचिकाकर्ता की प्रतिनियुक्ति को समाप्त कर उसे उसके मूल विभाग, अर्थात् पंचायत एवं ग्रामीण विकास

विभाग में वापस भेज दिया गया है। अतः, याचिकाकर्ता की याचिका आधारहीन है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।"

4. उक्त प्रत्युत्तर के परिप्रेक्ष्य में, उत्तरवादी (याचिकाकर्ता) द्वारा दिनांक 20.03.2007 को अपना पुनरुत्तर प्रस्तुत किया गया। यह एक संक्षिप्त पुनरुत्तर था, जिसका विवरण इस प्रकार है:

"याचिकाकर्ता ने राज्य के दो विभागों—अर्थात् जनजातीय कल्याण विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग—को पक्षकार बनाते हुए यह विवाद स्पष्ट करने हेतु याचिका प्रस्तुत की है कि याचिकाकर्ता की धारणाधिकार (lien) किस विभाग में है।

प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का मूल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है।

राज्य द्वारा किए गए इस कथन के परिप्रेक्ष्य में विवाद समाप्त हो गया है। माननीय न्यायालय कृपया प्रतिवादी क्रमांक 2 को यह निर्देश देने की कृपा करें कि वह याचिकाकर्ता को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापना तथा कार्य आवंटन के साथ नियमित वेतन एवं लंबित वेतन प्रदान करे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. यह रिट याचिका माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 20 अप्रैल 2007 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। उस दिन, उत्तरवादी (राज्य) के विद्वान अधिवक्ता ने, प्रत्युत्तर में किए गए कथन के आलोक में, यह प्रस्तुत किया कि राहत 7.2 के संबंध में वे संतुष्ट हैं और अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। जहां तक राहत 7.1 का प्रश्न है, राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि उत्तरवादी (याचिकाकर्ता) को उसके मूल विभाग अर्थात् पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में वापस भेज दिया गया है, अतः उसे पदस्थापना आदेश देने तथा वेतन की बकाया राशि का भुगतान करने में कोई कठिनाई नहीं है। इस पर, न्यायालय ने यह माना कि यह द्वितीय प्रार्थना भी अब शेष नहीं है, और उपर्युक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, अपीलार्थियों को यह निर्देश दिया गया कि वे यथोचित
पदस्थापना आदेश पारित करें तथा उत्तरवादी को उसका बकाया वेतन भुगतान करें। फलस्वरूप, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण कर दिया गया।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी का मूल विभाग पशु चिकित्सा विभाग है, जिसे बाद में पशुपालन विभाग के नाम से जाना गया। दिनांक 29.06.1996 के आदेश के द्वारा उत्तरवादी को प्रतिनियुक्ति पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भेजा गया और जनपद पंचायत, मलखरोदा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया। इसके पश्चात, उसे जनपद पंचायत, जशपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया और पुनः दिनांक 10.07.1998 के आदेश से जनपद पंचायत, पथलगांव में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया। उत्तरवादी को दिनांक 20.09.2005 को निलंबित कर दिया गया और निलंबन समाप्ति के उपरांत, आक्षेपित आदेश दिनांक 27.09.2006 के माध्यम से उसकी सेवाएं पुनः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को लौटाई गईं, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय विभागीय जांच की अंतिम अवस्था में लिया जाएगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में त्रुटिवश उत्तरवादी का मूल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंकित कर दिया गया, जबकि वास्तविकता में उसका मूल विभाग पशु चिकित्सा विभाग था। राज्य की ओर से एकल पीठ के समक्ष उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी यही मानकर तर्क प्रस्तुत किए कि उत्तरवादी का मूल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उत्तरवादी ने पुनरुत्तर प्रस्तुत करते समय भी इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया और दुर्भावनावश राज्य के प्रत्युत्तर को इस बिंदु पर स्वीकार कर लिया, जबकि याचिका में स्वयं उत्तरवादी ने यह कहा था कि उसकी नियुक्ति पशु चिकित्सा विभाग में हुई थी और तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन के मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा उसकी धारणाधिकार जनजातीय विकास विभाग में मानी गई थी, और इन्हीं आधारों पर उसने आक्षेपित आदेश को विधि विरुद्ध बताया था। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उत्तरवादी की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को लौटाए जाने के बाद, अब उसे दिनांक 02.01.2007 के आदेश द्वारा उसके मूल विभाग अर्थात् पशुपालन विभाग

में पुनः प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जिसका उल्लेख अनुलग्नक ए-12 के रूप में अपील पत्र के साथ किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी त्रुटिपूर्ण स्वीकृति, गलत तथ्य अथवा गलत शब्द के प्रयोग से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी के अधिकारों और राज्य की उसके प्रति दायित्वों की वास्तविक स्थिति नहीं बदल जाती। उन्होंने यह बताया कि उपरोक्त कारणों से एक पुनर्विचार याचिका माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, किंतु उसे निरस्त कर दिया गया। अतः उन्होंने निवेदन किया कि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाए।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया एवं माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है तथा रिट याचिका, पुनर्विचार याचिका एवं संलग्न विधिक सिविल प्रकरण. क्रमांक 778/2007 के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

9. स्वीकार्य रूप से, उत्तरवादी की नियुक्ति 25.08.1988 को सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ के पद पर की गई थी और उक्त पद पर उसकी सेवाएं दिनांक 14.09.1992 के आदेश द्वारा स्थायी की गई थीं, जो अनुलग्नक-पी/2 एवं याचिका के अनुच्छेद 5.2 में किए गए कथनों से स्पष्ट होता है। उत्तरवादी का दावा है कि इसके पश्चात्, वर्ष 1996 में तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के पदों को भरने हेतु रिक्तियां अधिसूचित की गईं और उसने परीक्षा में भाग लिया तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर चयनित हुआ। उसने यह भी दावा किया कि चयन के उपरांत उसके पक्ष में दिनांक 29.06.1996 का पदस्थापना आदेश (अनुलग्नक-पी/3) जारी किया गया था। परंतु अनुलग्नक-पी/3 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह वास्तव में उत्तरवादी की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति का आदेश था, जो उक्त आदेश के शीर्षक से ही स्पष्ट है। अतः, उत्तरवादी का यह तर्क कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उसकी पदस्थापना नवनियुक्ति के आधार पर की गई थी और उसका स्वरूप प्रतिनियुक्ति से भिन्न था – स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह तर्क पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है, विशेषकर जब यह स्वयं उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिनियुक्ति आदेश दिनांक 29.06.1996 (अनुलग्नक-पी/3)

पर आधारित है। उक्त आदेश द्वारा उत्तरवादी को जनपद पंचायत मलखरोदा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया था, और बाद में दिनांक 14.02.1997 को उसे मलखरोदा से जशपुर (जो कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिला रायगढ़ के अंतर्गत एक जनजातीय क्षेत्र है) स्थानांतरित कर दिया गया तथा दिनांक 10.07.1998 को कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा जारी आदेश से उसे पथलगांव में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में स्थानांतरित कर पदस्थ किया गया। चूंकि ये क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र थे, अतः वे जनजातीय विकास विभाग के कार्यपालन नियंत्रण के अंतर्गत आते थे, और इसी कारण जब उत्तरवादी का दिनांक 20.09.2005 का निलंबन समाप्त कर उसे पुनः पदस्थ किया गया, तब जनजातीय विकास विभाग के अधिकारियों ने उसकी सेवाएं आक्षेपित आदेश दिनांक 27.09.2006 के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को लौटा दीं। आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 2 की सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित राज्य प्राधिकारी ने उक्त आदेश पारित करते समय "मूल विभाग" जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है, अपितु केवल यह कहा गया है कि उत्तरवादी की सेवाएं पंचायत विभाग, रायपुर को लौटाई जा रही हैं। यदि उक्त आदेश उत्तरवादी को यह मानते हुए पंचायत विभाग में प्रत्यावर्तित करने के उद्देश्य से पारित किया गया होता कि उसका मूल विभाग पंचायत विभाग है, तो निश्चित रूप से प्राधिकारी द्वारा "मूल विभाग" जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता, जो कि नहीं किया गया है। साथ ही, इस प्रकार की एकाकी घटनाएं किसी वाद में उपस्थित वास्तविक तथ्यों की स्थिति को प्रभावित नहीं करतीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. सेवा संबंधी विधि के क्षेत्र में "चयन", "नियुक्ति", "पदस्थापना", "स्थानांतरण", "प्रतिनियुक्ति" तथा "प्रत्यावर्तन" जैसे शब्दों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये सेवा के ऐसे घटक हैं जो विधिक प्रावधानों के नियंत्रणाधीन होते हैं। यदि वास्तव में उत्तरवादी एक नवनियुक्त अभ्यर्थी अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नवीन रूप से चयनित व्यक्ति होता, तो उसके पक्ष में जारी किए गए पदस्थापना आदेश में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख होता, जैसा कि उसने स्वयं अभिलेखों में प्रस्तुत किया है। जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, जिस आदेश (दिनांक 29.06.1996) पर उत्तरवादी स्वयं भरोसा कर रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि उसे पंचायत विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया था। अतः उत्तरवादी का यह तर्क कि दिनांक 29.06.1996 के आदेश के आधार पर उसका ***मूल विभाग*** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग माना जाना

चाहिए, तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में "मूल विभाग" जैसे शब्दों का उपयोग करके एक ***ग़लत तथ्य*** अंकित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

11. जहाँ तक उत्तरवादी द्वारा यह कथन किया जाना कि उसे मध्यप्रदेश शासन के मंत्रिमंडलीय निर्णय के आधार पर जनजातीय विकास विभाग में *धारणाधिकार (lien)* प्राप्त हो गई थी तथा इस आधार पर आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई कि जनजातीय विकास विभाग को उसकी सेवाएं पंचायत विभाग को लौटाने का कोई अधिकार नहीं था — का संबंध है, तो यह तर्क सर्वथा अशक्त एवं अप्रासंगिक है, क्योंकि इस संबंध में उत्तरवादी के पक्ष में किसी प्रकार का कोई *शासकीय आदेश* कभी भी जारी नहीं किया गया। उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया एक *हस्तलिखित दस्तावेज़* (अनुलग्नक पी-4) यदि स्वीकार भी किया जाए, तो वह केवल एजेंडा क्रमांक 5 पर लिए गए किसी निर्णय की *प्रति* प्रतीत होती है। किन्तु प्रश्न यह है कि — वह एजेंडा क्या था? उसका स्वरूप और पृष्ठभूमि क्या थी? क्या ऐसा कोई निर्णय वास्तव में सरकार द्वारा लिया गया था और वह *सरकार पर बाध्यकारी* था? क्या ऐसे कथित निर्णय के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई? इन सभी बातों को उत्तरवादी द्वारा अभिलेख में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब तक इस संबंध में कोई *वैधानिक प्रावधान* अथवा *स्पष्ट शासकीय आदेश* — विशेषकर *स्वीकृत समायोजन* का आदेश — अभिलेख पर नहीं लाया जाता, तब तक केवल किसी कथित मंत्रिमंडलीय निर्णय के आधार पर यह दावा करना कि उत्तरवादी ने जनजातीय विकास विभाग में गारणाधिकार प्राप्त कर ली है, पूर्णतः निराधार और अवैध है। अतः इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा उठाया गया तर्क न केवल असंगत है, बल्कि बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपरोक्त चर्चा के आलोक में यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी का मूल विभाग पशु चिकित्सा विभाग था, जिसे वर्तमान में पशुपालन विभाग कहा जाता है, और उत्तरवादी को प्रतिनियुक्ति पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भेजा गया था। उक्त विभाग में कार्यरत रहते हुए, उसे जशपुर में पदस्थ किया गया तथा कलेक्टर, रायगढ़ के आदेश से उसे पथलगांव, जिला रायगढ़ में भी पदस्थ किया गया। ये दोनों स्थान जनजातीय क्षेत्र थे और जनजातीय

विकास विभाग के कार्यपालन नियंत्रण के अंतर्गत आते थे। उत्तरवादी को दिनांक 20.09.2005 को निलंबित किया गया और निलंबन की समाप्ति के पश्चात् उसकी सेवाएं आक्षेपित आदेश दिनांक 27.09.2006 के दूसरे भाग के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को लौटा दी गईं, क्योंकि उसे

जनजातीय क्षेत्र में उस समय भेजा गया था जब वह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत था। यह उल्लेखनीय है कि उत्तरवादी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भेजे जाने की यह प्रक्रिया प्रत्यावर्तन नहीं थी, क्योंकि प्रत्यावर्तन सदैव मूल विभाग में ही किया जाता है, न कि उस विभाग में जहाँ व्यक्ति को प्रतिनियुक्त किया गया हो। इस तथ्य के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि दिनांक 27.09.2006 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-1) पारित करते समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

13. जहाँ तक आक्षेपित आदेश पारित किए जाने का संबंध है, जो कि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा राज्य द्वारा की गई स्वीकारोक्ति एवं ग़लत धारणा के अधीन दी गई रियायतों के आधार पर पारित किया गया है, तो इस संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा **संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य, (1983) 1 एस.सी.सी. 147** के प्रकरण में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उपयुक्त समझते हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि: "न्यायालयों को किसी पक्षकार द्वारा की गई रियायत अथवा स्वीकारोक्ति के आधार पर कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें विधि के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में निर्णय लेना चाहिए।"

14. इसके अतिरिक्त, **अप्ट्रॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम शम्मी भान एवं अन्य, (1998) 6 एस.सी.सी. 538** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि— "किसी विद्वान अधिवक्ता की त्रुटिपूर्ण रियायत के आधार पर निर्णीत प्रकरण की कोई पूर्ववृत्तात्मक मान्यता नहीं होती।" इसके अतिरिक्त, किसी विधिक प्रावधान की किसी विशेष परिस्थितियों में लागू होने या न होने की स्थिति अथवा किसी व्यक्ति/संस्था की किसी विधिक प्रावधान के अंतर्गत वैधानिक देयता का प्रश्न — यह सब संबंधित विधिक प्रावधानों की व्याख्या एवं आशय पर निर्भर करता है, न कि किसी पक्षकार द्वारा की गई स्वीकारोक्ति या रियायत पर। ऐसी किसी भी रियायत का अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण के समय कोई महत्व या स्वीकार्यता नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक सर्वमान्य एवं निर्विवाद विधिक सिद्धांत है कि — "किसी विधिक प्रावधान के विरुद्ध कोई विबंध लागू नहीं होता।"

15. उपरोक्त दोनों निर्णयों का संदर्भ लेते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ एवं अन्य बनाम मोहनलाल लिकमल पंजाबी एवं अन्य, 2004 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 1153** के प्रकरण में यह भी प्रतिपादित किया कि — "यदि किसी विधिक प्रावधान के अंतर्गत स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध है, तो पक्षकारों द्वारा की गई कोई भी त्रुटिपूर्ण रियायत उन्हें बाध्य नहीं कर सकती।" अतः, यदि तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति की सही जानकारी माननीय एकल न्यायाधीश के संज्ञान में लाई जाती, तो राज्य द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण स्वीकारोक्ति/रियायत के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया जाता। स्पष्टतः, आक्षेपित आदेश राज्य द्वारा तथ्यों के संबंध में की गई ग़लत स्वीकारोक्ति एवं रियायत के आधार पर पारित किया गया है, जिसे विधिक दृष्टि से टिकाऊ नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस संबंध में, उत्तरवादी के पक्ष से विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश पाण्डेय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **संजय के. सिन्हा-II एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2004) 10 एस.सी.सी. 734** (पैरा 15) में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था कि— "जब कोई वरिष्ठ शासकीय अधिकारी शासकीय अभिलेखों के आधार पर हलफनामा प्रस्तुत करता है, तो राज्य सरकार न्यायालय में उस हलफनामे की विषयवस्तु का खंडन नहीं कर सकती।" किन्तु, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त निर्णय का लिया गया अपलेंध त्रुटिपूर्ण एवं अनुपयुक्त है, क्योंकि जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 15 में स्पष्ट किया गया है, वहाँ अधिकारी ने अपने हलफनामे में बार-बार यह उल्लेख किया था कि वह शासकीय अभिलेखों के आधार पर ही तथ्य प्रस्तुत कर रहा है; और राज्य सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) के प्रत्युत्तर में दाखिल जवाब में उसी तथ्य को दोहराया था। इन सभी तथ्यों के बावजूद जब राज्य की ओर से विपरीत तर्क प्रस्तुत किया गया, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त प्रतिपादन किया था। वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता, श्रीमान उप महाधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, हलफनामा शासकीय अभिलेखों के विपरीत है और प्रत्युत्तर हलफनामा प्रस्तुत करने वाले अधिकारी ने संभवतः अनजाने में अथवा सेवा विधि के संदर्भ में "मूल विभाग" शब्द के वास्तविक अर्थ को सही ढंग से समझे

बिना यह शब्द प्रयोग कर लिया। अतः, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपरोक्त विचार-विमर्श के आलोक में, हमारा सुविचारित मत है कि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, यह रिट अपील स्वीकृत की जाती है तथा माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 20.04.2007 को पारित आदेश को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। पक्षकारों को वाद व्यय संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया है।

सही/- सही/-

मुख्य न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Abhishek Banjare, Advocate